



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022022-233087
CG-DL-E-03022022-233087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2022/माघ 13, 1943

No. 411]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022/MAGHA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4598(अ), तारीख 15 दिसम्बर 2020] जो भारत के राजपत्र संख्या 4036 भाग II, खण्ड (3), उप-खण्ड (पप) तारीख 18 दिसम्बर 2020] में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में कंडला से गोरखपुर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये आइ.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आइ.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये आइ.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूचि

तालुका : गांधीनगर		जिला : गांधीनगर	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	सरढव	2000	00	01	08
		1998	00	11	32
		1997	00	03	28
		1996	00	02	82
		1995	00	03	32
		2004	00	00	40
		1994	00	00	44
		1991	00	07	11
		1985 (एसएच-138 पक्का रास्ता)	00	02	92
		1988	00	00	26
		1989	00	03	08
		1987	00	07	93
		1721	00	02	58
		1953 नाला	00	00	36

सरढव	1954	00	06	76
(जारी...)	1952	00	00	20
	1951	00	04	10
	1950	00	06	23
	1949	00	04	66
	1947	00	09	02
1953 – पक्का रास्ता		00	02	31
	1726	00	03	85
	1727	00	14	20
	1728	00	03	94
	1707	00	05	62
	1730	00	07	46
1702 (कच्चा रास्ता)		00	00	53
	1731	00	02	71
	1732	00	04	80
	1700	00	05	57
	1734	00	02	26
	1699	00	11	15
	1736	00	08	28
	1737	00	01	64
	1615	00	02	13
	1738	00	07	72
	1739	00	02	27
	1740	00	05	55
	1741	00	00	20
	1742	00	06	74
	1602	00	09	49
	1744	00	05	15
1594 कच्चा रास्ता		00	01	78
	1563	00	08	41
	1562	00	19	27

सरढव	1561	00	07	33
(जारी...)	1752	00	01	65
कच्चा रास्ता		00	00	49
	1755	00	04	20
	1756	00	04	81
	1757	00	03	51
	1758	00	01	81
1143 – पक्का रास्ता		00	04	52
	1224	00	08	78
	1222	00	00	93
	1223	00	03	95
1216 कच्चा रास्ता		00	01	02
	1213	00	05	47
	1212	00	03	85
	1211	00	05	51
	1165	00	03	15
	1166	00	05	43
	1164	00	01	29
	1167	00	00	20
	1163	00	04	24
नाला		00	01	46
	1168	00	07	19
1174 – पक्का रास्ता		00	01	20
	1169	00	13	37
	1171	00	00	20
	1170	00	06	13
	1105	00	00	40
	1102	00	06	54
	1103	00	00	46
	1099	00	06	40
	1098	00	00	20

सरढव	1100	00	00	84
(जारी...)	1065	00	06	65
	1066	00	05	88
	1067	00	00	20
	1033	00	00	31
	1030	00	08	07
	1029	00	04	85
	1027	00	04	16
	1026	00	05	06
1024 (पक्का रास्ता)		00	02	05
	868	00	09	19
	867	00	08	06
	865	00	00	35
	866	00	18	87
	864	00	08	34
	877	00	00	35
904 कच्चा रास्ता		00	01	04
	878	00	03	46
	879	00	04	47
	880	00	04	19
	802	00	08	69
	800	00	01	06
	805	00	07	24
	806	00	05	01
	740	00	01	80
	809	00	12	16
	739	00	05	92
कच्चा रास्ता		00	00	60
	361	00	00	24
	362	00	03	10

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I (ई-32563)]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 426(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India vide Gazette No. 4036 PART II—Section 3—Sub-section (ii) dated 18th December, 2020, S.O.No. 4598(E) dated 15th December, 2020 issued under sub section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Kandla to Gorakhpur in the State of Gujarat by IHB Limited for the transportation of Petroleum Products:

And whereas copies of said Gazette Notification were made available to the public; and whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim of legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka:- Gandhinagar		District:- Gandhinagar	State :- Gujarat		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Sardhav	2000	00	01	08
		1998	00	11	32
		1997	00	03	28
		1996	00	02	82
		1995	00	03	32
		2004	00	00	40
		1994	00	00	44

Sardhav	1991	00	07	11
(Contd...)	1985(SH-138 Asp. Road)	00	02	92
	1988	00	00	26
	1989	00	03	08
	1987	00	07	93
	1721	00	02	58
	1953 NALA	00	00	36
	1954	00	06	76
	1952	00	00	20
	1951	00	04	10
	1950	00	06	23
	1949	00	04	66
	1947	00	09	02
	1953 Asp. Road	00	02	31
	1726	00	03	85
	1727	00	14	20
	1728	00	03	94
	1707	00	05	62
	1730	00	07	46
	1702(Cart Track)	00	00	53
	1731	00	02	71
	1732	00	04	80
	1700	00	05	57
	1734	00	02	26
	1699	00	11	15
	1736	00	08	28
	1737	00	01	64
	1615	00	02	13
	1738	00	07	72
	1739	00	02	27
	1740	00	05	55
	1741	00	00	20

Sardhav	1742	00	06	74
(Contd...)	1602	00	09	49
	1744	00	05	15
	1594 Cart Track	00	01	78
	1563	00	08	41
	1562	00	19	27
	1561	00	07	33
	1752	00	01	65
	Cart Track	00	00	49
	1755	00	04	20
	1756	00	04	81
	1757	00	03	51
	1758	00	01	81
	1143 Asp. Road	00	04	52
	1224	00	08	78
	1222	00	00	93
	1223	00	03	95
	1216 Cart Track	00	01	02
	1213	00	05	47
	1212	00	03	85
	1211	00	05	51
	1165	00	03	15
	1166	00	05	43
	1164	00	01	29
	1167	00	00	20
	1163	00	04	24
	Nala	00	01	46
	1168	00	07	19
	1174 Asp. Road	00	01	20
	1169	00	13	37
	1171	00	00	20
	1170	00	06	13

Sardhav	1105	00	00	40
(Contd...)	1102	00	06	54
	1103	00	00	46
	1099	00	06	40
	1098	00	00	20
	1100	00	00	84
	1065	00	06	65
	1066	00	05	88
	1067	00	00	20
	1033	00	00	31
	1030	00	08	07
	1029	00	04	85
	1027	00	04	16
	1026	00	05	06
	1024 (Asp. Road)	00	02	05
	868	00	09	19
	867	00	08	06
	865	00	00	35
	866	00	18	87
	864	00	08	34
	877	00	00	35
	904 Cart Track	00	01	04
	878	00	03	46
	879	00	04	47
	880	00	04	19
	802	00	08	69
	800	00	01	06
	805	00	07	24
	806	00	05	01
	740	00	01	80
	809	00	12	16
	739	00	05	92

Sardhav	Cart Track	00	00	60
(Contd...)	361	00	00	24
	362	00	03	10

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.